मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 403

05.02.2024 को उत्तर के लिए

निर्माण कार्य हेतु पर्यावरणीय मंजूरी

403. श्री गोपाल शेट्टी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय पर पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिलने के कारण विकास से संबंधित निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में कई निर्माण परियोजनाओं का विकास कार्य रोका जा रहा है और विशेषकर मुंबई महानगर में पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिलने के कारण कई निर्माण परियोजनाएं रूकी हुई है/लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाया है या उठाने का विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (घ) यथा संशोधित, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना 2006 के प्रावधानों के अनुसार, पर्यावरण मंजूरी (ईसी) देने के लिए निर्धारित समय सीमा पूर्ण प्रस्ताव जमा करने की तारीख से 105 दिन है। पर्यावरण मंजूरी देने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन केंद्रीय स्तर पर संबंधित क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (ईएसी) और राज्य स्तर पर संबंधित राज्य पर्यावरण मूल्यांकन समिति (एसईएसी) जैसा भी मामला हो, द्वारा किया जाता है। ईएसी या एसईएसी अपनी विशिष्ट अनुशंसाएं प्रदान करते हैं। ईएसी की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय या संबंधित राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) संबंधित परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेते हैं।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में तीन राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियां अर्थात उद्योग एवं खनन संबंधी कार्यों के लिए राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति-1 (एसईएसी-1), मुंबई महानगरीय क्षेत्र (एमएमआर) और कोंकण क्षेत्र में भवन निर्माण एवं क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति-2 (एसईएसी-2) और महाराष्ट्र के शेष हिस्सों में भवन निर्माण एवं क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति-3 (एसईएसी-3) हैं। यहां पर 20 से कम ऐसी परियोजनाएं हैं, जो एसईएसी-2 जिसे विशेष रूप से एमएमआर और कोंकण क्षेत्र में भवन निर्माण एवं क्षेत्र विकास परियोजनाओं के लिए गठित किया गया है, के ध्यानाकार्षण के विभिन्न चरणों में लंबित हैं। इसके साथ ही, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) ने दिनांक 10.01.2024 तक उन सभी प्रस्तावों पर विचार किया है, जो एसईएसी द्वारा अनुशंसित हैं। ऐसी कोई परियोजनाएं नहीं हैं, जो पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलने के कारण रुकी हुई है/लंबित हैं।

*****